# कार्यालय मुख्य अग्निशमन अधिकारी जनपद उधम सिंह नगर।

ईमेल–cfoudn.ukfs@gmail.com, फोन नं0–05944–240071

पत्रांकः न–3 / एफ0एस0 / ऑनलाईन / 115 / 2019 दिनांक सितम्बर 11, 2019

**स्वामी / प्रबन्धक**
मै0 इण्डस नेशनल स्कूल,
साधूनगर सितारगंज,
ऊधम सिंह नगर।

**विषय :– प्राथमिक अग्निशमन सुरक्षा सम्बन्धी अनापत्ति प्रमाण पत्र के नवीनीकरण के सम्बन्ध में।**

आपके प्रार्थनापत्र यूआईडी नं0–11216689 दिनांक 26–08–2019 के अनुसार मै0 इण्डस नेशनल स्कूल, साधूनगर सितारगंज, ऊधम सिंह नगर की अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण प्रभारी अग्निशमन केन्द्र सितारगंज द्वारा किया गया। प्रभारी अग्निशमन केन्द्र सितारगंज की ऑनलाईन संस्तुति के अनुसार अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था संतोषजनक पायी गयी। समस्त अग्निशमन यन्त्र कार्यशील दशा में हैं तथा रिफलिंग कराकर निर्धारित टैस्टिंग फीस राजकोष में जमा करा दी गयी है।

निर्देशित किया जाता है कि अग्निजोखिम के दृष्टिगत 60 दिवस के भीतर संस्थान में प्रत्येक तल पर मानकानुसार हॉजरील, 450 लीटर प्रातिमिनट क्षमता का टैरेस पम्प, कमप्यूटर लैब में 02 अदद सीओ2 फायर एक्सटिंग्यूशर, अन्य लैब में 01 अदद एबीसी फायर एक्सटिंग्यूशर एवं 04 अदद सैण्ड बकेट तथा जनरेटर के पास 01 अदद सीओ2 और 04 अदद सैण्ड बकेट निर्धारित प्लेटफार्म के प्राविधान कर इस कार्यालय को सूचित करना अनिवार्य होगा अन्यथा यह अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वतः निरस्त समझा जाएगा। साथ ही अग्निशमन उपकरणों को सदैव कार्यशील दशा में रखेंगे। भवन के विस्तार / अतिरिक्त निर्माण करने पर तद्नुसार अतिरिक्त अग्निशमन व्यवस्था करनी होगी। प्रत्येक वर्ष इस कार्यालय से अग्निशमन यन्त्रों का परीक्षण कराकर अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र नवीनीकृत कराया जाना अनिवार्य होगा। प्रमाण पत्र नवीनीकृत नहीं कराये जाने की दशा में यह अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वतः ही निरस्त समझा जाएगा।

अतः उपरोक्तानुसार मै0 इण्डस नेशनल स्कूल, साधूनगर सितारगंज, उधम सिंह नगर को अग्निशमन सुरक्षा संबंधी अनापत्ति प्रमाण पत्र दिनांक 10 सितम्बर 2019 से 09 सितम्बर 2020 तक इस आधार पर प्रदान किया जाता है कि निम्न शर्तो का पालन किया जाय :–

1 सभी बाहर निकलने या बचाव के रास्ते, सैटबैक तथा सीढ़ियां प्रत्येक दशा में अवरोध मुक्त रखी जाय।
2 आपके संस्थान के सभी कर्मचारियों को उपलब्ध अग्निशमन यन्त्रों का तथा सुरक्षित निष्क्रमण प्रक्रिया (Evacuation) का ज्ञान होना आवश्यक है।
3 सभी अग्निशमन यन्त्रों को कार्यशील दशा में रखने की जिम्मेदारी प्रबन्धन की होगी। अतिरिक्त अग्निशमन यन्त्रों की स्थापना का अर्थ यह नहीं लगाया जाय कि अग्निकाण्ड की घटना नहीं हो सकती। अतः प्रबन्धन को अग्निरोधक उपाय सदैव करते रहना चाहिए।
4 भवन / संस्थान में विद्युत यन्त्रों की स्थापना, वैंटीलेशन, स्ट्रक्चर, स्टेबिलिटी, सैट बैक एरिया व निर्माण, Land Use Change में बदलाव आदि का सत्यापन संबंधित अधिकारी से कराया जाय।
5 संस्थान के विस्तार / अतिरिक्त निर्माण करने से पूर्व इस कार्यालय से मानचित्र अनुमोदित करवाकर मानक के अनुसार अतिरिक्त अग्निशमन व्यवस्था की जानी आवश्यक होंगी।

वंश बहादुर यादव
मुख्य अग्निशमन अधिकारी
ऊधम सिंह नगर